न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2271–तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–8–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 48/99–2000/अपील.

1– रामस्वरूप पुत्र श्यामलाल
2– रामनरेश पुत्र श्यामलाल
3– प्रेमवती पुत्री श्यामलाल
4– जगन्नाथ पुत्र सीताराम
5– सोनेराम पुत्र सीताराम
6– शोभाराम पत्र सीताराम
7– मुरारी पुत्र सीताराम
8– बनवारी पुत्र सीताराम
9– सीताराम पुत्र मुरलीधर
10– द्वाारिका बाई पत्नी बाबूसिंह
11– कमलाबाई पत्नी रामकिशन
निवासीगण विलगांव चौधरी
परगना जौरा जिला मुरैना म.प्र. ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामदयाल पुत्र सालिगराम
2– गंगाराम पुत्र सालिगराम
3– रामसिंह पुत्र सालिगराम
4– अशोक कुमार पुत्र सुखलाल
5– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुखलाल
6– लल्ला उर्फ सतीश पुत्र सुखलाल
7– संजय पुत्र सुखलाल
8– बैकुंठी बेवा सुखलाल
निवासीगण विलंगांव चौधरी
परगना जौरा जिला मुरैना म.प्र. ..... अनावेदकगण

श्री एम.पी. भटनागर, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री ए.के. अग्रवाल, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 1 लगायत 4.
श्री सुनीलसिंह जादौन एवं श्री ए.के. अग्रवाल, अनावेदक कमांक 6 एवं 7.

आदेश

(आज दिनांक 2–9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 48/99–2000/अपील में पारित आदेश दिनांक 24–8–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील जौरा के ग्रांम विलगांव चौधरी में स्थित प्रश्नाधीन भूमि पर डिकी के आधार पर नामांतरण किए जाने बावत आवेदनपत्र संहिता की धारा 110 के तहत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इश्तहार जारी किया गया तथा अनावेदकों को सूचनापत्र जारी किया गया । उभयपक्ष को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन उपरांत विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 6–3–98 द्वारा आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया कि मूल प्रकरण दिनांक 20–10–95 को दीवानी न्यायालय के आदेश की प्रति पेश न करने के कारण खारिज किया जा चुका है । पुनः 8 माह पश्चात नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत करना विधि संगत नहीं है । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकों द्वारा प्रथम अपील एस.डी.ओ. के समक्ष पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 30.9.99 द्वारा अस्वीकार की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त नेआलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ उभयपक्षों की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस में उठाये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय के निर्णय के पालन में विवादित भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया किंतु उसकी प्रमाणित प्रति पेश नहीं किये जाने से निरस्त किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदकों द्वारा ना तो प्रथम आवेदन के साथ और न ही दूसरे आवेदन के साथ प्रमाणित प्रति पेश की

। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदक व्यवहार न्यायालय के किस आदेश का पालन राजस्व न्यायालय से कराना चाहता है यह स्पष्ट नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि अपील के साथ भी आवेदकों द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की उक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों स्थिर रखते हुए अपील को निरस्त किया है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रकरण में बहस श्रवण किए जाने के उपरांत पेश की गई है, जबकि प्रकरण वर्ष 2000 से इस न्यायालय में लंबित है । अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित प्रतियां क्यों पेश नहीं की गईं इसका कोई समुचित कारण आवेदकों की ओर से नहीं दिया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर